रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 8, 2016/आश्विन 16, 1938
No. 366] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 8, 2016/ASVINA 16, 1938

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2016

सं. भा.आ.प. 211 (2)/2016 (नैतिकता)/131118 .— भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमावली, 2002" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती

है, नामतः :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (i) इन विनियमों को "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) (संशोधन) विनियमावली, 2016—भाग —I" कहा जाए ।

(ii) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमावली, 2002" में निम्नलिखित **परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे** :—

3. अध्याय -1-ख में चिकित्सक के सामान्य कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व के खंड 1.5 में *औषधों के जेनेरिक नामों का प्रयोग* में निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा :–

"प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नामों का प्रयोग स्पष्टता से और अधिमानत:, कैपिटल लैटर्स में करना चाहिए तथा उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि दवा का पर्चा तथा दवाओं का प्रयोग तर्क संगत हो।"

डॉ. रीना नय्यर, सचिव (प्रभारी)
[विज्ञापन–III/4/असा./253 (100)]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली नामतः "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नैतिकता) विनियमावली, 2002" भारत के गजट के भाग–III, धारा 4 में दिनांक 6 अप्रैल, 2002 को प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 22.02.2003, 26.05.2004, 10.12.2009 और 28.01.2016 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2016

No.MCI-211(2)/2016(Ethics)/131118 .– In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations to amend the "Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002: -

Short Title and Commencement:-

1. (i) These Regulations may be called the "Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) (Amendment) Regulations, 2016 – Part – I".

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Office Gazette.

2. In the "Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002", the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be, as indicated therein:-

3. In Chapter 1-B-Duties and responsibilities of the Physician in general, Clause – 1.5 under the heading – **Use of Generic names of drugs,** the following shall be substituted : -

   "Every physician should prescribe drugs with generic names legibly and preferably in capital letters and he/she shall ensure that there is a rational prescription and use of drugs"

DR. REENA NAYYAR, Secy. I/c
[ADVT.-III/4/Exty./253(100)]

Foot Note: - The Principal Regulation namely " Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002", were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 6th April, 2002, and amended vide MCI Notification dated 22.02.2003, 26.05.2004, 10.12.2009 and 28.01.2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.12 12:29:15 +05'30'